

**बिहार सरकार**

**गृह विभाग**

(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक मार्च, 2017

पत्र संख्या-1/एल1-10-08/2015 गृ0आ0 /विभागीय अधिसूचना सं0-1766, दिनांक 28.02.2017 द्वारा श्री डी0 अमरकेश, भा0पु0से0 (2013), सहायक पुलिस अधीक्षक-सह-अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बेलसंड, सीतामढ़ी को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 04.02.2017 से 23.02.2017 तक कुल 20 (बीस) दिनों की स्वीकृत उपार्जित अवकाश को रद्द किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(रंजन कुमार सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-08/2015 गृ0आ0 /पटना, दिनांक मार्च, 2017

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/प्रभारी ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-08/2015 गृ0आ0 /पटना, दिनांक मार्च, 2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-08/2015 गृ0आ0 2481 /पटना, दिनांक 23, मार्च, 2017

प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्री डी0 अमरकेश, भा0पु0से0 (2013), सहायक पुलिस अधीक्षक-सह-अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बेलसंड, सीतामढ़ी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।